

05/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत
अभिधान न्याय आपके द्वारा
2018 में अटल सेवा केंद्र कोरसीना
में पेश हुई पक्षकारान को सुना
गया छुल उपनिपत्त आदेश 9 नियम
13 प्राप्त दिवनी रेवस्त्रिप किया जा
सुका है। इस कारण यह पक्षकार
पत्र विचारण योग्य नहीं है।
रेवस्त्रिप किया जाता है पत्रावली
कोरसीना सुनाए होकर दण नण्बरसे
कम है आदेश मजमे दान के
सुनाया गया है।

105
सुपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक